भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3379
दिनांक 12 मार्च, 2026

सीएसआर निधि का आवंटन

3379. श्री अरुण कुमार सागरः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न उपक्रमों ने विगत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत निधि आवंटित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के विशेषकर पिछड़े और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में उपक्रम-वार किन-किन क्षेत्रों में निधि खर्च की गई है, उक्त अवधि के दौरान विभिन्न मदों के अंतर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई है और इससे लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश के विशेषकर पिछड़े और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में सीएसआर निधि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या देश के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार प्रत्येक कंपनी जिसका पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निवल मूल्य 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, या कारोबार 1,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, या निवल लाभ 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, उसे कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत सीएसआर पर व्यय करना अनिवार्य है। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एवं आज की तिथि तक, पेट्रोलियम क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों द्वारा आवंटित सीएसआर निधि का विवरण निम्नानुसार है–

(करोड़ रु. में)

पेट्रोलियम पीएसयू	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
ओएनजीसी	452	650	908	949
आईओसीएल	264	458	583	417
बीपीसीएल	227	206	358	397
एचपीसीएल	155	64	80	97
गेल	91	142	149	154
ओआईएल	98	123	130	138

(ख) से (घ) कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अन्तर्गत अभिज्ञात शीर्षों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य (पोषण, स्वच्छता एवं पेयजल), शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण उन्मुखी पहलों एवं वयोवृद्धों और दिव्यांगों की देखभाल पर विशेष बल देते हुए नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी कार्यकलाप किए जाते हैं। प्रमुख तेल एवं गैस पीएसयू द्वारा चलाई जा रही सीएसआर परियोजनाओं/कार्यकलापों का राज्य एवं जिला-वार सीएसआर व्यय का विवरण उनके संबंधित वेबसाइटों अर्थात् www.ongcindia.com, www.iocl.com, www.bharatpetroleum.com, www.hindustanpetroleum.com, www.gailonline.com, www.oil-india.com पर उपलब्ध हैं। सीएसआर परियोजनाएँ पूरे सीमान्त समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए की जाती हैं, जहाँ परियोजना का क्रियान्वयन किया जाता है। चूँकि, सीएसआर गतिविधियां व्यापक क्षेत्र को आच्छादित करती हैं, इसलिए परियोजना से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या और विवरण अनुरक्षित नहीं किए जाते हैं। सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की अनुशंसा के आधार पर कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने, निर्णय लेने, निष्पादित करने और निगरानी करने के लिए सक्षम है। सरकार किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या गतिविधि में व्यय करने के निमित्त कंपनियों को कोई विशेष दिशानिर्देश जारी नहीं करती है। सीएसआर निधि व्यय करने के मानदण्ड, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत निर्दिष्ट प्रावधानों, लोक उद्यम विभाग (डीपीई), वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सीएसआर व्यय सम्बन्धी दिशानिर्देशों और कंपनी की सीएसआर नीति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तेल एवं गैस पीएसयू के सीएसआर प्रावधान उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर लोक सभा संसदीय क्षेत्र सहित देश के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों (आकांक्षी जिलों) सहित पूरे क्षेत्रों या इलाकों में लागू होते हैं।

*****